370

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–भिण्ड

III/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3256

अनिल तोमर पुत्र स्व. कर्ण सिंह
निवासी– ग्राम चन्दोखर तहसील गोहद
जिला – भिण्ड (म.प्र.)

––आवेदक

विरूद्ध

शिवपाल सिंह पुत्र श्री आशाराम सिंह सिकरवार
निवासी – ग्राम चन्दोखर तहसील गोहद
जिला – भिण्ड (म.प्र.)

–– अनावेदक

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/2016–17 निगरानी माल में पारित आदेश दिनांक 09.08.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार वृत एण्डोरी के समक्ष एक आवेदन पत्र क्रमांक 167/2015–16/बी/121 इस आशय से प्रस्तुत किया कि मौजा चन्दोखर के सर्वे नं. 1142 रकवा 0.24 है0 पर फर्जी तरीके से कूट रचित कर बिना किसी प्रकरण क्रमांक एवं आदेश के अनावेदक शिवपाल पुत्र जसवंत सिंह का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया गया है।

2. यहकि, विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार वृत एण्डोरी द्वारा प्रकरण की विधिवत् जांच गयी एवं अपने पारित आदेश दिनांक 03.03.2017 से यह आदेश पारित किया गया। कि भूमि सर्वे नं. 1142 रकवा 0.24 है0 पर बिना किसी आधार के तथा बिना किसी आदेश के अनावेदक शिवपाल पुत्र जसवंत सिंह का नाम दर्ज किया गया है। जिसे परिवर्तन किया जाना आवश्यक है अतः उक्त नाम हटाये जाने का आदेश पारित किया गया एवं पूर्ववत् आवेदक अनिल पुत्र

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–तीन/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2017/3256

अनिल तोमर विरूद्ध शिवपाल सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर भिण्ड, जिला–भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 19/2016–17/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09–08–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चम्बल संभाग,चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 08–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 11-3-19 (आर0के0 जैन) सदस्य	